



2026:AHC:15713

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1971 सन् 2026

श्रीमती सुखराजी देवी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवेन्द्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील हांडिया, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के तहत वाद संख्या 5837/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202402030405837) (श्रीमती सुखराजी देवी बनाम सत्यानंद) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निर्णय मामले के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर किया जाए और विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय 90 दिनों के भीतर किया जाए और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील हांडिया जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन